दिनांक 03.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 06/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत पुलिस विभाग की महिला कार्मिकों हेतु पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की मंशानुरूप उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य विभागों के स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, उत्थान तथा सशक्तिकरण के उद्देश्य से मिशन शक्ति योजना निरन्तर क्रमिक रूप से विभिन्न फेज में चलायी जा रही है।

उक्त के क्रम में **श्री प्रशान्त कुमार**, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय में कार्यरत महिला कार्मिकों के समुचित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु **दिनांकः 07.01.2025 व 08.01.2025 को प्रातः 09.00 बजे** से पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ के भूतल पर टॉवर–4 में स्थित ''गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती लाउन्ज'' में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

दिनांक 03.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 07/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–03

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 सोने की अंगूठी**
- **05 पेटी अवैध शराब**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 02.01.2025 को थाना फेस–03 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मामूरा चौक रोड़ पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–संजय घायल हो गया, जिसे 2–अभियुक्ता सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 सोने की अंगूठी, 05 पेटी अवैध शराब, घटना में प्रयुक्त कार, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त संजय थाना फेस–03 पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त संजय के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 72 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–03 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय निवासी बिलावली थाना खेरागढ़, आगरा वर्तमान पता–संगम विहार, दिल्ली।

2–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी की 02 सोने की अंगूठी।

2–05 पेटी अवैध शराब।

3–घटना में प्रयुक्त कार।

4–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद हरदोई/थाना संडीला

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी की गयी लाइसेंसी रिवाल्वर**
- **39 हजार 660 रूपये नगद**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.01.2025 को थाना संण्डीला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कासिमपुर तिराहा से औरास रोड की तरफ बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अरमान उर्फ सफकत अली घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–हसरत 3–मो0 समीर 4–सोहेल अली सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी की गयी लाइसेंसी रिवाल्वर, 39 हजार 660 रूपये नगद, 01 चार पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सण्डीला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सण्डीला पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना सण्डीला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरमान उर्फ सफकत अली निवासी कांशीराम कालोनी कस्बा सण्डीला जनपद हरदोई, मूल निवासी नई बस्ती काकादेव, कानपुर नगर।

2–हसरत निवासी मंडई कस्बा व थाना सण्डीला जनपद हरदोई।

3–मो0 समीर निवासी ग्राम ढकवा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई।

4–सोहेल अली निवासी ग्राम ढकवा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी की गयी लाइसेंसी रिवाल्वर।

3–39 हजार 660 रूपये नगद।

4–01 चार पहिया वाहन ।

5–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना खैराबाद

- **05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 03.01.2025 को थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिसवां तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मन्नू उर्फ अभिमन्यू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खैराबाद पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सीतापुर के थाना खैराबाद पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खैराबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मन्नू उर्फ अभिमन्यु निवासी दोस्तपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

जनपद मुरादाबाद/थाना मैनाठेर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 02/03.01.2025 को थाना मैनाठेर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालपुर गंगवारी की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राहत उर्फ बिल्ला 2–अरकब घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राहत उर्फ बिल्ला के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, अमरोहा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहत उर्फ बिल्ला निवासी ग्राम ठक्का थाना सैदनगली जनपद अमरोहा, हालपता करूला जयन्तीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

2–अरकब निवासी सादात पश्चिमी थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

<u>जनपद बलिया/थाना नरही</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 03.01.2025 को थाना नरही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बघौता पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बलिया, गाजीपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नरही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शिवम निवासी नरायनपुर थाना नरही जनपद बलिया।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 02.01.2025 को थाना रूपईडीहा व एसएसबी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इण्डो नेपाल बार्डर के पास से अभियुक्त रामसागर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 35 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामसागर निवासी ग्राम दुविधापुर थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–लगभग 35 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 70 ग्राम अवैध स्मैक।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट प्रयागराज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 23 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 47 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 03.01.2025 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट प्रयागराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरगढ़ मोड़ के पास ग्राम कलचिहा थाना बरगढ़ चित्रकूट से 02 अभियुक्तों 1–राजू 2–रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 23 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 47 किलोग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 01 कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बरगढ़ चित्रकूट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजू निवासी नई बस्ती सिचौली मौदहा जनपद हमीरपुर।

2—रोहित कुमार निवासी लुकतरा थाना कोतवाली देहात जनपद बाँदा।

बरामदगी

1—लगभग 23 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 47 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3—01 कार आदि।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना महरूआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना महरूआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—कल्लू 2—राजू 3—अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना को0शहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना को0शहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)जी/342 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रहीस को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना करमा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 90 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना करमा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 420/468/471 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संतोष को 07 वर्ष के कारावास व 90 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः मुम्बई पुलिस अभिरक्षा से फरार रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राकेश जायसवाल उर्फ राकेश जैसवार लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 03–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मुम्बई पुलिस अभिरक्षा में फरार व थाना जी0आर0पी0 चारबाग, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 430/2023 धारा 224 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राकेश जायसवाल उर्फ राकेश जैसवार को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– राकेश जायसवाल उर्फ राकेश जैसवार पुत्र सरवन प्रसाद निवासी ग्राम–नन्दलाल मनसा छापर, थाना जटहा बाजार, जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

पालिटेक्निक चौराहा, थाना क्षेत्र गाजीपुर, जनपद लखनऊ दिनांक 03–01–2025 समय 11.20 बजे दोपहर।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना जी0आर0पी0 चारबाग, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 430/2023 धारा 224 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राकेश जायसवाल उर्फ राकेश जैसवार पालिटेक्निक चौराहे पर मौजूद है, जो कही भागने की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 आलोक कुमार पाण्डेय, स्वरूप कुमार पाण्डेय, अमित कुमार सिंह, चालक अफजाल की टीम द्वारा ज्ञात स्थान पर पहुॅचकर वांछित अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश जायसवाल ने पूछताछ पर बताया कि वह मुम्बई में रहता था जहॉ से एक नाबालिक लड़की को भगा ले गया था। जिस पर उसके विरूद्ध थाना पार्क साइट, मुम्बई में मु0अ0सं0 560/2023 धारा 363, 376, 376(2)(1) भादवि व 4 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग में दिनांक 23–10–2023 को मुम्बई पुलिस द्वारा कुशीनगर से गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में ट्रेन मुम्बई ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ऐशबाग, लखनऊ के पास लघुषंका के बहाने बाथरूम गया और भीड़ का फायदा उठाते हुए ट्रेन से कूद गया। यहॉ से भागने के बाद अपने घर गया और फिर वहॉ से हैदराबाद चला गया। जहॉ पर लुकछिप कर रह रहा था। आज अपने घर जाने के लिए हैदराबाद से लखनऊ आया था और पालिटेक्निक चौराहे पर खड़ा था। जिस सम्बन्ध में थाना जी0आर0पी0 चारबाग, लखनऊ में अभियोग पंजीकृत हुआ था एवं गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार भी घोषित था।

अभियुक्त राकेश जायसवाल का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	560/2023	363, 376, 376(2)(1) भादवि व 4 पाक्सो एक्ट	पार्क साइट	मुम्बई
2	430/2023	224 भादवि	जी0आर0पी	लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना जी0आर0पी0 चारबाग, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 430/2023 धारा 224 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>एस0टी0एफ0–थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–4/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस व धारा 43/66 डी आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 02–01–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–4/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस व धारा 43/66 डी आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्तों को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

1– राजन साहनी पुत्र शिव प्रसाद निवासी गोहलिया थाना उरुवा बाजार, जनपद गोरखपुर।

2– शिवम निषाद पुत्र रामधनी निवासी कबीर नगर वार्ड नम्बर–03 (बगहीभारी) थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगीः–

1– 04 अदद लेक क्वीन क्रूज बोर्डिंग पास।

2– 02 अदद मोबाइल फोन।

3– 01 अदद आधार कार्ड।

4– 970/– रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

गम्भीर नाथ प्रेक्षागृह के पास, चम्पा देवी पार्क, थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 02–01–2025 समय लगभग 19.55 बजे।

ऐप का प्रयोग कर आनलाइन वेबसाइट व आनलाइन पेमेन्ट गेटवे को हैक कर साइबर फ्रांड करने वाले गिरोह के सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 को सूचना प्राप्त हो रही थी। जिस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों/इकाइयों को आवष्यक कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 4/2025 धारा 319(2), 318(4) ,338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस व धारा 43/66डी आईटी एक्ट पंजीकृत है। इसमें वांछित अभियुक्तों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई कि 02 अभियुक्त गम्भीर नाथ प्रेक्षागृह के पास, चम्पा देवी पार्क, थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के पास मौजूद है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में हे0का0 उमेश कुमार सिंह, हे0का0 अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, हे०का० नसरूद्दीन, हे०का० विनय कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड

इकाई गोरखपुर टीम द्वारा विवेचक उ0नि0 अनित कुमार राय थाना रामगढ़ताल गोरखपुर को साथ लेकर दोनों वांछित अभियुक्तों को उक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि इनके लैपटाप में Burp Suite Community Edition App है। इस ऐप में ही इण्टरनेट ब्राउसर दिया है, उसी ब्राउसर से Lake Queen का वेबसाइट खुल गया। उसमें अपना नाम, आधार कार्ड का नम्बर, मोबाइल नम्बर भरा जाता है। इस ऐप में यह भी सुविधा है कि टिकट बुक कराते समय आधार कार्ड नं0 व मोबाइल नम्बर गलत भर देने पर उसको ऐप प्रमाणित नहीं करता है, जिससे टिकट बुक कराने वाले की पहचान नही हो पाती है। आनलाइन पेमेन्ट करते समय Pay now Option पर दो पेयमेन्ट विकल्प आते हैं, जिसमें एक में वास्तविक पेयमेन्ट व एक में एक रूपया या कितना भी (Dummy) भरने पर, Dummy Payment ही कटेगा। इस प्रक्रिया को दो बार किया जाता है। इसके बाद Gateway (Payment) खुल जाएगा, कि किस माध्यम से पेयमेन्ट करना चाहते है, जैसे UPI/CARD/Internet Banking आदि। बैलेन्स प्रमाणित हो जाने के बाद Dummy Payment account में चला जाता है। वास्तविक रूपया वेबसाइट के सिस्टम में प्रदर्षित करेगा। टिकट शिवम के लैपटाप में generate हो जायेगा, जिसे डाउनलोड करके अपने लैपटाप में सेव कर लेगा। फिर लैपटाप से WhatsApp पर भेज देगा। इस तरह से हमारे द्वारा Dummy Payment का टिकट बुक किया जा रहा था।

अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा की जा रही है।

————